मध्य प्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

//अधिसूचना//

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्रमांक 997/2013/32 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) मध्य प्रदेश नियम 1975 जो विभाग की विज्ञप्ति 3816 दिनांक 8 दिसम्बर 1975 द्वारा प्रकाशित हुये हैं, व दिनांक 13.8.1991 को संशोधित हुये हैं में निम्नांकित संशोधन करता है :-

उपर्युक्त नियमों के नियम 7 के उप नियम (4) नियम 9 के उपनियम (6) तथा नियम 12 के अधीन प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्थान पर संलग्न उपाबन्ध प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात :

उपाबन्ध

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) मध्य प्रदेश नियम 1975 के नियम 7 के उप नियम (4) नियम 9 के उपनियम (6) तथा नियम 12 के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन :-

क्र	शक्तियों की विशिष्टियाँ	अध्यक्ष की शक्तियाँ	सदस्य सचिव की शक्तियाँ	बोर्ड की शक्तियाँ
1	2	3	4	5
1	यात्रा भत्ता बिलों तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ती बिलों पर प्रति हस्ताक्षर करना	अपने स्वयं के लिये तथा अन्य सभी प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिये पूर्ण शक्तियाँ तथा बोर्ड के अशासकीय सदस्यों के यात्रा भत्ता बिल। शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकेंगे ।	बोर्ड के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में सम्पूर्ण शक्तियाँ । शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकेंगे ।	कुछ नहीं
2	बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को राज्य के बाहर की यात्राओं की मंजूरी देना ।	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिये पूर्ण शक्तियाँ ।	द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में सम्पूर्ण शक्तियाँ ।	कुछ नहीं
3	प्रत्येक मामले में दौरे पर 10 दिन तक के विश्राम पर दैनिक भत्ते संदाय को सीमित करने	प्रथम श्रेणी अधिकारी के संबंध में 30 दिन तक सम्पूर्ण शक्तियाँ ।	द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में 15 दिन की अवधि के लिये पूर्ण शक्तियाँ ।	30 दिन से अधिक तक की शक्तियाँ।

	वाले नियम से छूट प्रदान करना ।			
4	अतिरिक्त धारित पद के न्यूनतम वेतन के 10 प्रतिशत से अनाधिक विशेष वेतन मंजूर करने की शक्ति ।	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिये पूर्ण शक्तियाँ ।	द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में सम्पूर्ण शक्तियाँ ।	कुछ नहीं
5 (अ)	आकस्मिक व्यय मंजूर करना	आवर्ती स्वरूप की मद के लिये रूपये 40,000/-	अनावर्ती स्वरूप की एकल मद के लिये रूपये 30,000/- तक तथा आवर्ती स्वरूप की मद के लिये रूपये 20,000/-	पूर्ण शक्ति
(ब)	दर अथवा भाव आमंत्रित किये बिना स्थानीय बाजार से छोटी-मोटी खरीदी	-	एक समय में स्थानीय बाजार से किसी ऐसी एक वस्तु की खरीदी नगद रूप में कर सकेंगे जिसका मूल्य रूपये दस हजार से अधिक न हो, सदस्य सचिव अध्यक्ष के अनुमोदन के बिना किसी भी ऐसी वस्तु का जिसका मूल्य रूपये दस हजार से अधिक हो नगद रूप में नहीं खरीद सकेंगे ।	कुछ नहीं
6	शो रूम, गैरेज, कार्यालय आदि के लिये भवनों को भाड़े पर लेना ।	-	सम्पूर्ण शक्तियाँ ।	कुछ नहीं
7	लेखन सामग्री आदि की खरीद ।	-	सम्पूर्ण शक्तियाँ ।	पूर्ण शक्तियाँ
8	पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं की खरीद	-	सम्पूर्ण शक्तियाँ ।	कुछ नहीं
9	बेकार माल के बट्टे खाते में डालना	-	सम्पूर्ण शक्तियाँ ।	पूर्ण शक्तियाँ
10	फर्नीचर खरीदना टेंडर इत्यादि बुलाकर	रूपये 5-10 लाख	रूपये पांच लाख तक।	पूर्ण शक्तियाँ
11	सिविल निर्माण कार्यो के अनुमानों का अनुमोदन करना और उपकरणों की खरीदी	रूपये 1 करोड़ से अधिक 2 करोड़ से कम	रूपये 1 करोड़ से तक	पूर्ण शक्तियाँ
12	आहार-विहार आतिथ्य तथा बोर्ड के कार्यकलापों के संबंध में अन्य विविध मदों पर व्यय की मंजूरी	एक बार में रूपये 2 लाख तक ।	एक बार में रूपये 1 लाख से तक ।	पूर्ण शक्तियाँ

7

13	निविदाओं की स्वीकृति	रुपये 50 लाख से 1 करोड़	रुपये 50 लाख तक	पूर्ण शक्तियाँ
14 (क)	खुली निविदायें तथा एक से अधिक विधि मान्य निविदायें	रुपये 50 लाख से 1 करोड़	रुपये 50 लाख तक	पूर्ण शक्तियाँ
(ख)	बातचीत द्वारा संविदाओं की स्वीकृति से एकल संविदा	–	रुपये 3 लाख तक की शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
(ग)	आपातकाल के कारण निविदायें बुलाये बिना संविदाओं की स्वीकृति	रुपये 2 लाख से 5 लाख तक	रुपये 2 लाख तक की शक्तियाँ । 2 लाख से 5 लाख अध्यक्ष की अनुमति से	पूर्ण शक्तियाँ
(घ)	निम्नतम भाव के आधार पर खुली निविदायें ।	–	रुपये 2 लाख तक की शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
(ङ)	जहां निम्नतम भावों वाली निविदायें स्वीकार न की जानी हों, वहां खुली निविदायें	–	–	पूर्ण शक्तियाँ
(च)	कोटेशन के आधार पर सर्वे एवं अन्य कार्य	–	रुपये 1 लाख तक की शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
15	प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद	–	–	पूर्ण शक्तियाँ
16	विज्ञापन प्रभारी/ मुद्रण प्रभारी को मंजूरी देना	–	रुपये 25 हजार तक की शक्तियाँ रुपये 50 हजार तक अध्यक्ष की अनुमति से	पूर्ण शक्तियाँ
17	सामग्रियों को अतिशेष तथा बेकार घोषित करना तथा उनके रक्षित पुनर् विक्रय मूल्य नियत करना तथा उनके व्ययन का ढंग ।	रुपये 5 से 10 लाख	रुपये 5 लाख	पूर्ण शक्तियाँ
18	खरीदी के मदों से भिन्न आपातकालीन निर्माण कार्यों के लिये व्यय	रुपये 5 लाख	रुपये एक लाख तक	पूर्ण शक्तियाँ
19	हानियों को बट्टे खाते में डालने की मंजूरी देना ।			
(क)	जो चोरी, कपट तथा प्रभाव के कारण न हुई हो	रुपये 1 लाख	प्रत्येक मामले में रुपये 50 हजार	पूर्ण शक्तियाँ
(ख)	जांच के अध्ययीन रहते हुये कपट के या प्रमाद के कारण हुई हो ।	रुपये 1 लाख	प्रत्येक मामले में रुपये 30 हजार	पूर्ण शक्तियाँ

20	रेल्वे द्वारा आंकलित विलम्ब शुल्क घाट, भाड़ा की मंजूरी	रूपये 50 हजार	एक समय में रूपये 25 हजार तक	पूर्ण शक्तियाँ
21	निधियों का विनिधान अथवा विनियोजन	पूर्ण शक्तियाँ	रूपये 50 हजार	–
22	कर्मचारियों को अग्रिम का भुगतान			
(क)	मोटर कार/मोटर साईकिल	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिये पूर्ण शक्तियाँ ।	द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में सम्पूर्ण शक्तियाँ ।	कुछ नहीं
(ख)	भवन निर्माण	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिये पूर्ण शक्तियाँ ।	द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में सम्पूर्ण शक्तियाँ ।	कुछ नहीं
(ग)	यात्रा भत्ता	बोर्ड के अशासकीय सदस्यों के लिये ।	प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पूर्ण शक्तियाँ ।	–
23	विज्ञापन प्रकाशन हेतु संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग को अग्रिम	–	पूर्ण शक्तियाँ	–
24	सेमिनार, विज्ञान गोष्ठी, कार्यशाला आदि का किसी मान्यता प्राप्त संस्था/ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि के साथ आयोजन	रूपये 2 लाख	एक बार में रूपये 50 हजार	पूर्ण शक्तियाँ
25	मुख्यालय स्तर पर अधिकारियों/ कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन	–	सम्पूर्ण शक्तियाँ	कुछ नहीं
26	वार्षिक वेतन वृद्धियाँ मंजूर करने तथा रोक लेने की शक्तियाँ	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ ।	द्वितीय,तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ ।	कुछ नहीं
27	दक्षतारोध को पार करने की मंजूरी देने की शक्ति ।	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ ।	द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ ।	कुछ नहीं
28	आकस्मिक अवकाश तथा विशेष आकस्मिक अवकाश मंजूर करना	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ ।	द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ ।	कुछ नहीं
29	सभी प्रकार के अवकाश तथा सेवाकाल के भीतर अध्ययन अवकाश	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ ।	द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ ।	कुछ नहीं

	मंजूर करना			
30	वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियमों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही करने की शक्ति	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ ।	द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ ।	कुछ नहीं
31	मध्य प्रदेश के बाहर के दौरों को सम्मलित करते हुये दौरा कार्यक्रमों का अनुमोदन	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ ।	द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ ।	कुछ नहीं
32	गोपनीय रिपोर्टो को मंजूरी देना	प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के संबंध में स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी ।	तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी ।	कुछ नहीं

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आशीष सक्सेना)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ0क्रमांक/ 1573 /997/2013/32 भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2013

प्रतिलिपिः-

1/- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, आवास एवं पर्यावरण, मध्य प्रदेश शासन भोपाल।

2/- अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।

3/- सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।

4/- सभी संबंधित सदस्यगण ।

5/- नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, मेदा मिल भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति प्रेषित कर अनुरोध है कि संशोधित अधिसूचना को मध्य प्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर इसकी 50 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग